उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी अनुभाग-1
संख्या- **02/**01 ई-1/तेरह-2015-499(5)/2009
लखनऊ ::दिनांक :: जनवरी, 2015

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

श्री राज्यपाल एतद्द्वारा श्री कुंवर स्कन्द सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त, खम्भार खेडा आसवनी, लखीमपुर खीरी को उप आबकारी आयुक्त के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मौलिक रूप से प्रोन्नत किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं।

2. श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी वर्तमान तैनाती से सम्बन्धित प्रभार में प्रोन्नति के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

3. श्री सिंह को उप आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4; उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-364(एस/बी)/2014, रिट याचिका संख्या- 458(एस/बी)/2014, रिट याचिका संख्या-345(एस/बी)/2014 तथा 824(एस/बी)/2014 में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 01 (1) ई-1/तेरह-2014, दिनांक जनवरी, 2015</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(4) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(6) समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।
(7) श्री कुंवर स्कन्द सिंह को इस निर्देश के साथ कि वे प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करके आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.upnic.in